न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 97/2010 अंतर्गत धारा 14(4)

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

भागचन्द पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बापी तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान
..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. पैरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय
दिनांक: 14.6.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा० पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ०ख०नं० 1635/1 रकबा 0.40 है० भूमि का आवंटन अप्रार्थी भागचंद पुत्र नन्दा को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा० पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बापी द्वारा अप्रार्थी भागचंद पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बापी को दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ०ख०नं० 1635/1 रकबा 0.40 है० भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन होने पर नामां० सं० 103 दिनांक 11.06.1990 को आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। भूमि मौके पर खाली पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी को किया गया प्रश्नगत आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी/आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी की तामील नहीं होने पर तहसीलदार सैंथल से अप्रार्थी के पूर्ण एवं सही [illegible] सूचना तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सैंथल के अनुसार [illegible] में एवं ग्राम के लोगों से अप्रार्थी भागचंद के पते की जानकारी [illegible] कराया गया कि [illegible] भागचंद कीर नाम का व्यक्ति 30–40 वर्षो पूर्व नदी [illegible] का काम करता [illegible]तु वर्तमान में संपूर्ण पटवार मंडल बापी में कीर जाति का एक भी [illegible] नहीं हाने से अप्रार्थी [illegible] कीर का सही पता नहीं मिल पा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:14 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रा0 पत्र सं0 97/2010 अंतर्गत धारा 14(4)

पैरोकार सरकार को एकतरफा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प बापी द्वारा आवंटी भागचंद पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बापी तहसील दौसा को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नंबर 1635/1 में से 0.40 है0 भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि की गैर खातेदारी का नामान्तरण सं. 103 दिनांक 11.6.1990 के द्वारा आवंटी को गैर खातेदारी दर्ज की गई है। भूमि आज तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2058 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि पडत पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बापी द्वारा दिनांक 21.6.1989 को आवंटी भागचंद पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बापी को आवंटित की गई प्रश्नगत भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.6.1989 कैम्प बापी द्वारा आवंटी भागचंद पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बापी के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 1635/1 रकबा 0.40है. वाके ग्राम बापी का किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 14 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:14 IST
Reason: SelfAttested